

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

No.2004/TG.I/20/P

New Delhi, dated: 29 -07-2004

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular No. 24 of 2004)

**Sub: Maintenance of Special Cancellation Register in Reservation Offices
over Indian Railways:**

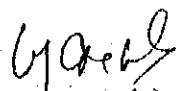
Please refer to Board's letter No. 95/TG-I/20/P dated 15.11.1995 on the subject quoted above. (Copy enclosed). During a preventive check conducted by the Vigilance Directorate of Board's Office it was found that the number of fresh tickets issued after canceling the original journey tickets is not mentioned in the requisite register. In absence of this information, it was impossible to ascertain the validity of the reasons quoted for specially cancelling the tickets.

Ministry of Railways desire that the instructions contained in Board's letter dated 15.11.1995 referred to above may be reiterated to all concerned for strict compliance.

Please acknowledge receipt.

DA: As above.

Copy to : JDV(T), Railway Board.


(O.P. Chawala)
Joint Director, Traffic Commercial(G)
Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2004/टी जी I/20/पी

नई दिल्ली, दिनांक : 29-07-2004

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें

(2004 का वाणिज्य परिपत्र सं. 24)

विषय : भारतीय रेलों पर आरक्षण कार्यालयों में विशेष रद्दकरण रजिस्टर का अनुरक्षण

उपर्युक्त विषय पर कृपया बोर्ड का 15.11.95 का पत्र सं. 95/टीजी-I/20/पी देखें (प्रतिलिपि संलग्न). बोर्ड कार्यालय के सतर्कता निदेशालय द्वारा आयोजित निवारक जांच के दौरान, यह पाया गया कि मूल यात्रा टिकट रद्द करने के उपरांत जारी की गई नई टिकटों की संख्या अपेक्षित रजिस्टर में उल्लिखित नहीं की जाती। यह सूचना उपलब्ध न होने के कारण, टिकटों को विशेष रूप से रद्द करने के उद्घृत कारणों की वैधता का पता लगाना असंभव था।

रेल मंत्रालय ने यह इच्छा प्रकट की है कि बोर्ड के 15.11.95 के उपर्युक्त पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेश सभी संबंधित को कड़ाई से अनुपालन करने के लिए दोहराए जाएं।

कृपया इस पत्र की पावती दें.

(ओ.पी.चावला)

संयुक्त निदेशक, यातायात वाणिज्य(सा.)

रेलवे बोर्ड

संलग्नक : यथोक्त

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

NO.95/TG-1/20/P

New Delhi, dated 15.11.95

General Managers (Commercial)
All Zonal Railways.

Sub: Maintenance of Special Cancellation
Register in Reservation Offices over
Indian Railways.

It has come to the notice of the Board that in the computerised reservation offices of Zonal Railways Special Cancellation Register is not maintained properly. The staff is also not clear about the details to be maintained. Consequently, the possibility of committing frauds cannot be ruled out.

2. In order to streamline the procedure, a proforma has been designed and is enclosed with this letter for circulating the same to all reservation offices to enable them to maintain record in proper manner by the concerned staff. Necessary instructions may please be issued to all concerned. Checks should be conducted to ensure that the special cancellation register is maintained properly in the prescribed proforma.

Please acknowledge receipt.

(P.S.Nerwal)

Director, Traffic Comm.(G),
Railway Board

Copy to:- JDV(SS), V(SS) (with 10 spares)
2. O&M Branch (with 10 spares)
3. Secretary, IRCA, Chelmsford Road, New Delhi.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय : रेलवे बोर्ड

सं. 95/टी जी 1/20/पी नयी दिल्ली, दि० 15.11.95

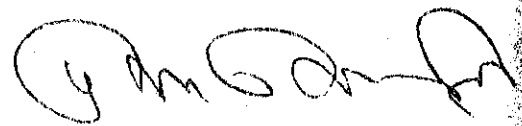
महोदयों को वाणिज्य
समीक्षा रेलें.

विषय :- भारतीय रेलों पर आरक्षण कार्यालयों में विशेष
रद्दकरण रजिस्टर का अनुरोध.

बोर्ड के नोटिस में यह आया है कि ऐसी रेलों के कंप्यूटरकृत
आरक्षण कार्यालयों में विशेष रद्दकरण रजिस्टर उचित प्रकार से नहीं
रखे जाते हैं। कर्मचारीगण भी रेलवे के वास्तविक ब्योरो के बारे में सुनिश्चित
नहीं हैं। परिणामतः कपट किए जाने की संभावना को नकारा नहीं जा
सकता है।

2. प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक प्रोफार्म तैयार किया गया
है। इससे सभी आरक्षण कार्यालयों में परिचित करने हेतु इस प्रश्न के साथ
संलग्न किया गया है ताकि संबंधित कर्मचारियों द्वारा वे उचित तरीके से
रिकार्ड रख सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाये कि विशेष
रद्दकरण रजिस्टर को निर्धारित प्रोफार्म में उचित प्रकार से रखा जाता है।

कृपया पंजीयन दें।



पी. एस. निगम

निदेशक, यातायात वाणिज्य सहा. स.
रेलवे बोर्ड।

प्रतिनिधि प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक सतर्कता विशेष दस्ता, सतर्कता विशेष दस्ता को
१।० अतिरिक्त प्रतियों सहित
2. ओ एंड एम शाखा को १।० अतिरिक्त प्रतियों सहित
3. सचिव, भारतीय रेल सम्मेलन, मेरसफोर्ड रोड, नई दिल्ली।

RECEIVED FOR SPECIAL CANCELLATION

[illegible]

विशेष रद्दकरण के लिए प्रोफार्मा

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
कॉफ	ग्रा.डी	नं.	तक	पीरनामार्क	कॉडर	समय	दिवस	रद्दकरण	नया	आपरेटर	सुपर-इन्चर	टिपपणी
							जारी	के लिए	प्री. का	इसका	के	
							करने	कारण	स्व.	इसका		
							का		आर			
							रयान					

-8-